भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 793
गुरुवार, 24 जुलाई, 2025/2 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

बोइंग 787-8 विमान का निरीक्षण

793. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रेः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बोइंग 787-8 विमान का तत्काल निरीक्षण अनिवार्य किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है;
(ख) क्या एयर इंडिया और दूसरी एयरलाइनों के अन्य विमानों का भी सुरक्षा पुनः निरीक्षण किया जा रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) पायलट प्रशिक्षण, विमान जीवनचक्र प्रबंधन और नियमित अनुमोदन प्रणालियों में प्रस्तावित सुधारों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार को उच्च स्तरीय समिति की प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या दुर्घटना के संभावित कारणों (जैसे इंजन की विफलता, तकनीकी खराबी, पक्षी का टकराना, आदि) की उसमें स्पष्ट रूप से पहचान की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(च) क्या समिति की अंतिम रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(छ) क्या रिपोर्ट में उल्लिखित सुधारात्मक उपायों को लागू करने के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार की गई है; और
(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग): दिनांक 12.06.2025 को एअर इंडिया की उड़ान संख्या एआई-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के पश्चात, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एअर इंडिया को सभी 787-ड्रीमलाइनर विमानों की जांच/निरीक्षण करने का आदेश दिया। एअर इंडिया के बेड़े में 33 बोइंग 787-8/9 विमान हैं। कुल 33 विमानों में से, 31 प्रचालनरत 787-ड्रीमलाइनर (बोइंग 787-8/9) विमानों का निरीक्षण किया गया है, जिनमें से 8 विमानों में मामूली खामियाँ पाई गईं। इन विमानों को सुधार के पश्चात परिचालन हेतु भेज दिया गया है। शेष 2 विमान निर्धारित अनुरक्षण किया जा रहा हैं।

डीजीसीए ने विमानों के सुरक्षित परिचालन और अनुरक्षण के लिए वृहत नागर विमानन विनियम बनाए हैं। इन विनियमों को निरंतर अद्यतित किया जाता है और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) / यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी (ईएएसए) मानकों के अनुरूप बनाया जाता है।

डीजीसीए ने एयरलाइन के विमानों की निरंतर उड़नयोग्यता के प्रबंधन के लिए सतत उड़नयोग्यता प्रबंधन संगठन (सीएएमओ) को अनुमोदन दे दिया है। तदनुसार, एयरलाइनें विमान के उपयोग के आधार पर निर्धारित डीजीसीए अनुमोदित विमान अनुरक्षण कार्यक्रम (एएमपी)/विनिर्माता दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमोदित अनुरक्षण संगठन (एएमओ) के माध्यम से विमान का अनुरक्षण करती हैं। विनिर्माता जीवन चक्र प्रबंधन में सुधार का सुझाव देता है।

(घ) से (ज): एअर इंडिया की उड़ान संख्या एआई-171 की घटना के पश्चात, भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए व्यापक दिशानिर्देश सुझाने हेतु केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 13.06.2025 को एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया था। समिति को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

समिति के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

1) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक सुधारों की सिफारिश करना और उपयुक्त मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करना।
2) ऐसी घटनाओं को रोकने और दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक नीतिगत परिवर्तनों, परिचालन सुधारों और प्रशिक्षण संवर्द्धन का सुझाव देना।
3) विभिन्न हितधारकों (केंद्र और राज्य सरकारों दोनों) की आपातकालीन प्रतिक्रिया का आकलन करना, जिसमें बचाव कार्यों और उनके बीच समन्वय शामिल हैं।

******